



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259852
CG-DL-E-02012025-259852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]
No. 360]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2024
मामला सं. एडी (एए) 02/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अनट्रीएटेड फूड्स सिलिका” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी समीक्षा जांच।

- फा. सं. 7/25/2023-डीजीटीआर- समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए कैबोट सनमार लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित और शैनडोंग डोंगयुवे सिलिकॉन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “संबद्ध निर्यातक”

कहा गया है) द्वारा उत्पादित “अनट्रीएटेड फूड सिलिका” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 29(2) के अनुसार जहां पाटनरोधी शुल्क के अधीन कोई वस्तु ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में भारत में आयातित होती है, जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समामेलन माना जाता है, जो इस प्रकार शुल्क को निष्प्रभावी बना देती है या बना सकती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा करने के बाद पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्आकलन करने के पश्चात शुल्क के रूप या आधार और/या पाटनरोधी शुल्क की राशि में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से पर्याप्त साक्ष्य सहित किए गए किसी आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को शुल्क के समामेलन के कारण निष्प्रभावी किया गया या किया जा सकता है।

क. पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से अनट्रीएटेड फूड सिलिका के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच दिनांक 22 सितंबर, 2020 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। अंतिम जांच परिणाम फा.सं. 6/40/2020 दिनांक 20 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी ने उत्पाद के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी उपाय लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर, 2021 के जरिए पाटनरोधी शुल्क लगाया था। उक्त शुल्क 10 नवंबर, 2026 को समाप्त होने के लिए निर्धारित है। निम्नांकित तालिका वर्तमान में लागू शुल्क को दर्शाती है।

क्र.सं.	देश	उत्पादक	राशि
1	चीन जन.गण.	शानडोंग डोंगयुई सिलिकान मैटिरियल कंपनी लिमिटेड	1,018 डा./मी.ट.
2	चीन जन.गण.	वाकर केमिकल्स फूड सिलिका (झंगजियागंग) कंपनी लिमिटेड	शून्य
3	चीन जन.गण.	कोई अन्य	1,296 डा./मी.ट.
4	कोरिया गणराज्य	ओसीआई कंपनी लिमिटेड	शून्य
5	कोरिया गणराज्य	कोई अन्य	373 डा./मी.ट.

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. पाटनरोधी शुल्क के अधीन विचाराधीन उत्पाद का दायरा प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया था:

3. इस आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “अनट्रीएटेड फूड सिलिका” है। साइलोन यौगिक के एक वैपर फेस फ्लेम हाइड्रोलिसिस से विनिर्मित सिंथेटिक सिलिका को प्रसिद्ध रूप में फूड सिलिका के नाम से जाना जाता है। सिंथेटिक सिलिका का यह प्रकार अपने कार्यों और विनिर्माण प्रक्रिया तथा आवश्यक कच्ची सामग्री के कारण अन्य सिलिका से अलग होता है। यद्यपि, अन्य सिंथेटिक सिलिका एक तरल चरण में

सिलिकेट विलयन से निर्मित होते हैं, तथापि फ़ूड सिलिका काफी उच्च तापमान पर गैस चरण में विनिर्मित होता है।

4. फ़ूड सिलिका को अनुपचारित और उपचारित फ़ूड सिलिका में वर्गीकृत किया जाता है। अनुपचारित फ़ूड सिलिका को 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम में क्लोरोसिलेन फीडस्टॉक के फ्लेम हाइड्रोलेसिस द्वारा बनाया जाता है। यह प्रक्रिया श्रृंखला जैसे समग्र और ढेर के रूप में अद्वितीय संरचना वाली सिलिका का उत्पादन करती है।

5. अनट्रीएटेड फ़ूड सिलिका का एक बड़ा विशिष्ट सतह क्षेत्र होता है। 150 या 200 या 300 या 380 वर्गमीटर/ग्राम जैसे अपने सतह क्षेत्र के मान के आधार पर अनट्रीएटेड फ़ूड सिलिका को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त अलग अलग ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रेड 200 वर्गमीटर/ग्राम है, जिसके अनेक अनुप्रयोग हैं।

6. यह एक फ्री-फ्लोइंग पाउडर उत्पाद है, जिसके व्यापक प्रयोग होते हैं। अनट्रीएटेड फ़ूड सिलिका ठोस प्रणालियों फ्री फ्लो विशेषताओं में सुधार करता है और भेषजों में फ्री फ्लो और टेबलेट बनाने के एजेंट के रूप में प्रयोग होता है तथा खाद्य तथा कृषि रसायनों में एंटी-केकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। यह तरल स्वाद और सुगंध के वाहक के रूप में भी प्रयोग होता है। संबंधित उत्पाद किलोग्राम या मी.ट. के अनुसार व्यक्त निवल भार की दृष्टि से ठोस है।

7. फ़ूड सिलिका या सिलिकॉन डाई-ऑक्साइड को ध्याय 28, उपशीर्ष 28112200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। भारत में अनट्रीएटेड फ़ूड सिलिका का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष 28112190, 2839100 और अध्याय 34 के 34049090 के अन्तर्गत विभिन्न एचएस कोडों के अधीन भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रकृति का है।“

5. चूंकि वर्तमान आवेदन लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी इस समीक्षा के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है, जैसा मूल जांच में परिभाषित था।

6. मूल जांच से पता चला था कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय पाए गए हैं। अतः, वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध निर्यातक से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. आवेदक

7. समामेलनरोधी समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए वर्तमान आवेदन कैबोट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। इसके अलावा, आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देश से निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित है। आवेदक नियमावली के भीतर घरेलू उद्योग है।

घ. समीक्षा का दायरा

8. वर्तमान समामेलनरोधी समीक्षा जांच शैनडोंग डोंगयि सिलिकॉन मैटेरियल कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “संबद्ध निर्यातक” कहा गया है) द्वारा निर्मित चीन जन.गण. से निर्यात के संबंध में है।

ड. समामेलन समीक्षा जांच के लिए आधार

9. आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं की कीमत में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद वृद्धि हुई है, इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, परंतु शैनडोंग डोंगयुई सिलकॉन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड से आयात कीमत में गिरावट आई है।
10. आवेदक ने दावा किया है कि क्योंकि तीसरे देशों को समान वस्तु के निर्यातों की निर्यातक-वार कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया गया है। वास्तव में, पाटनरोधी नियमावली के 29(1) के प्रावधान में निर्यात कीमत में गिरावट की तुलना तीसरे देशों को उत्पादन लागत या निर्यात कीमत में परिवर्तन या भारत में वस्तु की पुनः बिक्री कीमत से करनी होती है। अतः, यह आवश्यक नहीं है कि सभी तीन के लिए सामेलन के संबंध में निर्यात कीमत में गिरावट सिद्ध हो जाए।
11. आवेदक ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाते हुए *प्रथमदृष्ट्या* सूचना दी है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथमदृष्ट्या* सूचना में उत्पादन लागत में अनुरूप गिरावट के बिना आयात कीमत में गिरावट दर्शाई गई है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क का सामेलन और पाटन तथा क्षति मार्जिन में परिणामी वृद्धि का पता चलता है।
12. नियमावली के नियम 29(3) के प्रावधान के अनुसार कोई हितवद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर सामेलनरोधी समीक्षा की शुरुआत का अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त नियम का परंतुक यह प्रावधान करता है कि दिए गए मामले में विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर लिखित में दर्ज कारणों के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी दो वर्षों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी जांच शुरुआत के आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं।
13. पाटनरोधी उपाय 11 नवंबर 2021 को लागू किए गए थे। सामेलनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन पाटनरोधी शुल्क लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर अर्थात् सितंबर 2023 में दायर किया गया था। तथापि, आवेदक ने बाद में सामेलन की अवधि को अद्यतन किया है।

च. समामेलन की अवधि

14. वर्तमान समीक्षा के लिए सामेलन की अवधि जुलाई 2023 से जून, 2024 तक की मानी गई है। प्राधिकारी ऐसी अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच में जांच की अवधि की कीमतों के साथ करेंगे।

छ. सामेलनरोधी समीक्षा जांच की शुरुआत

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और चीन जन.गण. से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के सामेलन से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी एतद्वारा शैनडोंग डोंगयुई सिलकॉन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के सामेलन की मौजूदगी और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि या रूप में अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 30 के अनुसार संशोधन की सिफारिश करने के लिए एतद्वारा सामेलनरोधी समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. प्रक्रिया

16. वर्तमान समीक्षा जांच का दायरा केवल पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पुनः गणना तक सीमित है। वर्तमान समीक्षा जांच में नियमावली के नियम 29, 30 और 31 के अन्तर्गत यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

17. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in एक प्रति के साथ adv11-dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
19. नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस समीक्षा जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
21. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ज. समय सीमा

22. वर्तमान समीक्षा जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों को (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
27. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक

रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय अंश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
29. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
30. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ड. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या समीक्षा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate (General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**New Delhi, the 31st December, 2024**Case No. – AD (AA) – 02/2023**

Subject: Anti-absorption review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Untreated Fumed Silica’ originating in or exported from China PR.

- F. No. 7/25/2023-DGTR** - Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), Cabot Sanmar Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of “Untreated Fumed Silica” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”) and produced by Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd. (hereinafter referred to as the “subject exporter”).
- In terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29 (2) of the Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of existing anti-dumping duty, which is thereby or may be rendered ineffective, the Designated Authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the duty and/or the quantum of anti-dumping duty after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application made with sufficient evidence, by or on behalf of the domestic industry or any other interested party as to whether the existing anti-dumping duty is thereby or may be rendered ineffective because of absorption of duty.

A. Background

- The anti-dumping investigation concerning imports of the Untreated Fumed Silica from China PR and Korea RP was initiated vide notification dated 22nd September 2020. Vide final findings F No. 6/40/2020 dated 20th September 2021, the Authority recommended imposition of anti-dumping measures on imports of the product for a period of 5 years. The Ministry of Finance, vide Notification No. 66/2021-Customs (ADD) dated 11th November 2021, imposed anti-dumping duties. The said duties are set to expire on 10th November 2026. Table below summarises the duty in force at present.

SN	Country	Producer	Amount
1	China PR	Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd.	1,018 \$/MT
2	China PR	Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co. Ltd.	Nil
3	China PR	Any other	1,296 \$/MT
4	Korea RP	OCI Company Limited	Nil
5	Korea RP	Any other	373\$/MT

B. Product under consideration.

4. The scope of product under consideration attracting the anti-dumping duties was specified as follows in the final findings notified by the Authority:

3. The product under consideration in the application is “untreated fumed silica”. Synthetic silica manufactured from a vapour phase flame hydrolysis of a silane compound, is popularly known as fumed silica. This type of synthetic silica is different from other silica by its functionality and manufacturing process and the raw materials needed. While other synthetic silicas are made from silicate solution in a liquid phase, fumed silica is manufactured in a gas phase at a very high temperature.

4. Fumed silica is classified as untreated fumed silica and treated fumed silica. Untreated fumed silica is made by the flame hydrolysis of Chlorosilane feedstock in an oxygen hydrogen flame at temperatures of 1800 deg C. This process allows production of the silica with unique structure comprising of chain like aggregates and agglomerates.

5. Untreated fumed silica has a large specific surface area. Depending upon its surface area values such as 150 or 200 or 300 or 380 m²/gm the untreated fumed silica is classified as different grades suitable for different applications. The most popular grade is 200m²/gm, used in variety of applications.

6. It is free-flowing powdered product, used for wide applications. Untreated Fumed Silica improves free flow properties in solid systems and used as free flow and tableting agent in pharmaceuticals and an anti-caking agent in foods and agrochemicals. It is also used as a carrier for liquid flavours and fragrances. Product concerned is solid in terms of net weight expressed in terms of kg or MT.

7. Fumed Silica or Silicon di-oxide is classified under Chapter 28, subheading 28112200. The untreated fumed silica being imported into India under different HS codes also under subheading 28112190, 2839100 of Chapter 28 and 34049090 of Chapter 34 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification is only indicative in nature and not binding on the scope of the investigation. "

5. Since the present application is anti-absorption review of anti-dumping duty in force, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.
6. The original investigation revealed that there are no known significant differences in the goods produced by the applicant and that exported from the subject country. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two were found to be technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present review, the subject goods produced by the applicant is being treated as “like article” to the subject goods imported from the subject exporter.

C. Applicant.

7. The present application for initiation of anti-absorption review investigation has been filed by Cabot Sanmar Limited. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India. Further, the applicant has certified that it has not imported the subject goods nor is related to the exporters from the subject country or importer in India. The applicant constitutes domestic industry within the Rules.

D. Scope of review

8. The present anti-absorption review investigation is in respect of exports from China PR made by Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd. (hereinafter referred to as the “subject exporter”).

E. Grounds for an absorption review investigation

9. The applicant has claimed that while the raw material and utility prices for the product under consideration have increased after the imposition of anti-dumping duty, thus leading to an increase in the cost of production, the import price from Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd. has declined.
10. The applicant has claimed that since exporter-wise prices of exports of the like article to third countries are not available, the same has not been relied upon. In any case, the provisions of Rule 29(1) of the Anti-Dumping Rules require the decline in export price to be compared to a change in the cost of production or export price to third countries or the resale price of the article in India. Therefore, it is not necessary that the export price decline in relation to all three for absorption to be established.
11. The applicant has given *prima facie* information showing an increase in the dumping margin and injury margin. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows a decline in the import price without a commensurate decline in the cost of production, thus showing absorption of anti-dumping duties and a consequent increase in the dumping and injury margin.
12. As per the provisions of Rule 29(3) of the Rules, any interested party may file an application seeking initiation of anti-absorption review within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty. The proviso to the sub-rule provides that in view of special circumstances in a given case, for reasons to be recorded in writing, the Designated Authority may accept an application for such initiation after the expiry of the said period of two years.
13. The anti-dumping measures were imposed on 11th November 2021. The application seeking initiation of the anti-absorption investigation was filed within two years from the date of imposition of the anti-dumping duty i.e., in September 2023. However, the applicant later updated the period of absorption.

F. Period of absorption.

14. The absorption period for the purpose of the present review has been considered as July 2023 to June 2024. The Authority shall compare the prices in such period to the prices in the period of investigation of the original investigation.

G. Initiation of the anti-absorption review investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having satisfied itself based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the absorption of the anti-dumping duties imposed on the imports from China PR, the Authority, hereby, initiates an anti-absorption review investigation to determine the existence and effect of the absorption of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration by Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd. and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty, in accordance with Section 9A(1B) of the Act and Rule 30 of the Rules.

H. Procedure

16. The scope of the present review investigation is limited only to the re-computation of dumping margin and injury margin. The provisions as stipulated under Rules 29, 30 and 31 of the Rules shall be followed in the present review investigation. The provisions of Rule 6 shall apply *mutatis mutandis*.

I. Submission of information

17. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and adg16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
18. The known producer/ exporter in the subject country, the government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the review investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.
20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
21. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this review investigation.

J. Time limit

22. Any information relating to the present review investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and adg16-dgtr@gov.in within thirty days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

K. Submission on information on a confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

26. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Duty Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

L. Inspection of Public File

32. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/response/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

M. Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the review investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority